[2019] 15 एस.सी.आर 113

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल)

बनाम

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 9212 2019)

04 दिसम्बर 2019

[आर एफ नरीमन, अनिरुद्ध बोस और

वी. रामसुब्रमण्यम, जे.जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003 - ss.86(1)(एफ) और एस.एस.37, 42, 158 - अपीलकर्ता के पास चंदेरिया, देबारी, अघुचा और दरीबा में अपनी इकाइयों के लिए चार उच्च तनाव बिजली कनेक्शन हैं, जिसके लिए प्रतिवादी के साथ चार अनुबंध थे बिजली की खरीद के लिए समझौता किया गया - अपीलकर्ता ने चंदेरिया में एक कैप्टिव पावर प्लांट भी स्थापित किया - इसने तीन ओपन एक्सेस समझौते किए। 10.03.05 प्रतिवादी के साथ - समझौते के खंड 8 और 9 के तहत देय अनिर्धारित इंटरचेंज शुल्क के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ - राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित आदेशों द्वारा, यह कहा गया कि वह स्वयं पार्टियों के बीच विवाद का फैसला करेगा - हालाँकि, बाद में आयोग ने धारा 86(1)(एफ) आर/डब्ल्यू धारा 158 के तहत मध्यस्थ नियुक्त किया - अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थ ने समझौतों के खंड 8(सी) और 9 को रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप, अनिर्धारित इंटरचेंज शुल्क बिल किया जाएगा। पार्टियों के बीच पहले हुए समझौतों के अनुसार - वाणिज्यिक न्यायालय ने पुरस्कार को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया - उच्च न्यायालय ने पुरस्कार को रद्द करते हुए कहा कि अपीलकर्ता द्वारा पहनी गई टोपी, जिसमें सभी चार इकाइयाँ शामिल थीं, एक <u>ओपन एक्सेस उपभोक्ता की थी</u> और उत्पादक कंपनी का नहीं और इस प्रकार, धारा 86(1)(एफ) आकर्षित नहीं हुई - माना गया: यदि अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, तो याचिका को किसी भी स्तर पर और संपार्श्विक कार्यवाही में भी लिया जा सकता है - इस प्रकार अपीलकर्ता के इस तर्क को मानना मुश्किल है कि सहमति देने के बाद, प्रतिवादी अब पलट नहीं सकता है और मध्यस्थ की नियुक्ति को अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना चुनौती नहीं दे सकता है - इसके अलावा, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के

मद्देनजर . मामले में, धारा 86(1)(एफ) में आने वाली अभिव्यक्ति 'और' को 'या' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए - जैसा कि फैसले में बताया गया है, राज्य आयोग न तो विवाद का फैसला कर सकता है और न ही इसे मध्यस्थ के पास भेज सकता है। - अन्यथा भी, मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद का संदर्भ केवल लाइसेंसधारियों और उत्पादक कंपनियों के बीच ही हो सकता है, अन्यथा नहीं - उच्च न्यायालय का यह कहना सही है कि कानून के अनुसार, धारा 86 के तहत मध्यस्थ को राज्य आयोग द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है - ऐसी नियुक्ति पर आधारित पुरस्कार कानून में गैर-स्थायी होगा - हालाँकि, उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर निष्कर्ष निकालने तक नहीं रुका, बल्कि पुरस्कार की खूबियों पर चर्चा की - यदि अपीलकर्ता कानून में किसी अन्य उपाय का लाभ उठाना चाहता है, उच्च न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी इसके रास्ते में नहीं आएगी - क़ानून की व्याख्या।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 यह स्थापित कानून है कि यदि अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, तो याचिका को किसी भी स्तर पर और अतिरिक्त कार्यवाही में भी लिया जा सकता है। इसलिए, इस तर्क को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है कि सहमति देने के बाद, प्रतिवादी अब पलट नहीं सकता है और मध्यस्थ की नियुक्ति को अमान्य और अधिकार क्षेत्र के बिना चुनौती नहीं दे सकता है। अब बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 86 पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि विवादों पर निर्णय केवल लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच हो सकता है, न कि लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं के बीच, जो कि धारा 42 द्वारा खुली पहुंच की स्थिति में प्रदान किया गया है। [पैरा 18, 20, 21][122-सी, एफ-जी]

1.2 2004 के ओपन एक्सेस विनियमों के तहत, खंड 29, विशेष रूप से, जब वितरण लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं के बीच उठाए गए विवादों की बात आती है तो चुनौती का तीन स्तरीय पदानुक्रम देता है। खुली पहुंच के मामले मायने रखते हैं। यह विद्युत अधिनियम की धारा 42(6) में प्रदान की गई अलग व्यवस्था से काफी अलग है, जहां शिकायतों के निवारण के लिए राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या नामित लोकपाल को एक अभ्यावेदन दिया जा सकता है, जैसा कि बताया गया है। पहले से ही स्थापित किया गया है. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 86(1)(एफ) में आने वाली अभिव्यक्ति 'और' को 'या' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। . लेकिन ऐसा केवल इसलिए है, क्योंकि, जैसा कि फैसले में बताया गया है, राज्य आयोग न तो

विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है और न ही इसे मध्यस्थ के पास भेज सकता है। अन्यथा भी, मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद का संदर्भ केवल लाइसेंसधारियों और उत्पादक कंपनियों के बीच ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस मामले में, उच्च न्यायालय यह कहने में सही है कि मध्यस्थ, कानूनन, विद्युत अधिनियम की धारा 86 के तहत राज्य आयोग द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी नियुक्ति पर आधारित पुरस्कार कानून की नजर में गैर-स्थायी होगा। हालाँकि, उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर निष्कर्ष तक नहीं रुका, बल्कि पुरस्कार की खूबियों पर चर्चा करता रहा। यदि अपीलकर्ता कानून में किसी अन्य उपाय का लाभ उठाना चाहता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी उसके रास्ते में नहीं आएगी। [पैरा 22, 23, 25-27][122-एच; 123-ए-बी; 124-ए-डी]

किरण सिंह और अन्य बनाम चमन पासवान और अन्य' **[1955] 1 एससीआर 117;** गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड **(2008) 4 एससीसी 755: [2008] 4 एससीआर 822- पर भरोसा किया गया।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1955] 1 एससीआर 117 पैरा 16 पर निर्भर था

[2008] 4 एससीआर 822 पैरा 20 पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 9212।

राजस्थान के उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के एस.बी. में दिनांक 05.04.2018 के निर्णय और आदेश से। सिविल विविध. 2017 की अपील संख्या 2803।

सी. एस. वैद्यनाथन, वरिष्ठ वकील, प्रशांतो चंद्र सेन, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भारत सूद, सुश्री श्रुति जोस, वकील। अपीलकर्ता के लिए.

पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, हर्ष जैन, सुश्री अंकिता गुप्ता, हर्षित खंडूजा, अभिनव देशवाल, पंकज शर्मा, सुश्री प्रतिभा जैन, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय **आर. एफ. नरीमन, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. वर्तमान अपील विद्युत अधिनियम, 2003 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'विद्युत अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत मध्यस्थता कार्यवाही के दायरे के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है, विशेष रूप से, धारा 86(1)(एफ) धारा के साथ पढ़ी जाती है 158।

3. इस मामले को तय करने के लिए आवश्यक बुनियादी तथ्य इस प्रकार हैं:

हमारे सामने अपीलकर्ता, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पास चंदेरिया, देबारी, अघुचा और दरीबा में अपनी इकाइयों के लिए चार उच्च तनाव बिजली कनेक्शन हैं, जिसके लिए प्रतिवादी के साथ चार अनुबंध हैं। बिजली की खरीद के लिए अनुबंध किया गया था।

अपीलकर्ता ने चंदेरिया में 154 मेगावाट का एक कैप्टिव पावर प्लांट भी स्थापित किया, जिसे फरवरी, 2005 में चालू किया गया था, और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ग्रिड के साथ सिंक्रनाइज़ किया गया था। विनियमों के तहत इस ग्रिड की पारेषण और वितरण प्रणालियों तक अल्पकालिक खुली पहुंच की मांग की गई थी और अपेक्षित अनुमति प्राप्त की गई थी। इसके बाद, अपीलकर्ता ने 10.03.2005 को प्रतिवादी के वितरण प्रणाली पर अपने कैप्टिव पावर प्लांट से अपने स्वामित्व वाली तीन इकाइयों तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिवादी के साथ तीन ओपन एक्सेस समझौते में प्रवेश किया, जो अघुचा, देबारी और दरीबा में इकाइयां थीं। क्रमश। ओपन एक्सेस 24.03.2005 को शुरू हुआ और इसके कैप्टिव पावर प्लांट में उत्पन्न बिजली को 132 केवी और 220 केवी पर चित्तौड़गढ़ के ग्रिड सबस्टेशनों में इंजेक्ट किया गया, जहां से इसे प्रतिवादी के ट्रांसमिशन सिस्टम पर प्रसारित किया गया और फिर अपीलकर्ता की तीन इकाइयों को आपूर्ति की गई।

4. पार्टियों के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ वह अनिर्धारित इंटरचेंज शुल्क को लेकर था जो दिनांक 10.03.3005 के तीन समझौतों के खंड 8 और 9 के तहत देय है।

5. खंड 8 और 9 इस प्रकार पढ़ते हैं:

"(8) शेड्यूलिंग:

ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा उत्पादन और प्राप्त बिंदु पर निकासी पर ओपन एक्सेस पावर शेड्यूल करने के लिए पार्टियों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की जाती है:

.....

.....

(सी) ओपन एक्सेस उपभोक्ता प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे अजमेर डिस्कॉम को 15 मिनट के ब्लॉक के आधार पर निकासी का शेड्यूल प्रस्तुत करेगा, जिसे वह ओपन एक्सेस के खिलाफ और 15 मिनट के ब्लॉक के आधार पर मौजूदा कनेक्शन की अनुबंध मांग, यदि कोई हो, के खिलाफ निकालना चाहता है। , अलग से। ओपन एक्सेस बिजली की निकासी अनुसूची आपूर्ति करने वाले जनरेटर द्वारा अपने शेड्यूल में दिखाई गई उपलब्धता तक सीमित होगी।

9. निपटान

(ए) पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि प्रत्येक 15 मिनट के ब्लॉक के लिए वितरण प्रणाली में एम्बेडेड उत्पादन स्टेशन द्वारा राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम में ओपन एक्सेस पावर इंजेक्ट करने वाले उत्पादन स्टेशन द्वारा शेड्यूल इंजेक्शन और वास्तविक इंजेक्शन के बीच बेमेल का निपटान किया जाएगा। निम्नलिखित तरीके से किया गया.

(i) समय-समय पर राज्य के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट यूआई मूल्य पर किसी भी 15 मिनट के ब्लॉक में निर्धारित उत्पादन/इंजेक्शन के 5% से अधिक अनिर्धारित उत्पादन नहीं करना चाहिए।

(ii) किसी भी 15 मिनट के ब्लॉक में निर्धारित उत्पादन/इंजेक्शन के 5% से अधिक उत्पादन को शून्य माना जाएगा और ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के लिए उत्पादन स्टेशन द्वारा कोई यूआई शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(iii) शेड्यूल जेनरेशन और वास्तविक जेनरेशन के बीच बेमेल का निर्धारण एमआरआई के माध्यम से डाउनलोड किए गए मीटर डेटा और बिलिंग माह के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दिए गए 15 मिनट के ब्लॉक-वार शेड्यूल से किया जाएगा।

....

....

(सी) खुली पहुंच और मौजूदा अनुबंध मांग के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा निर्धारित कुल निकासी और प्रत्येक 15 मिनट के ब्लॉक में कुल वास्तविक निकासी में बेमेल निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

(i) अन-शेड्यूल निकासी कुल अनुसूची के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी 15 मिनट के ब्लॉक में ओपन एक्सेस और मौजूदा डिस्कॉम कनेक्शन के खिलाफ उपभोक्ता द्वारा किए गए भुगतान की कीमत यूआई दर पर होगी और ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा देय/प्राप्य होगी।

(ii) निर्धारित और वास्तविक निकासी में बेमेल शेष का भुगतान ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा अजमेर डिस्कॉम को पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर किया जाएगा और किसी भी समझौते के अभाव में इस तरह के निकासी को अस्थायी आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और अस्थायी के लिए टैरिफ लिया जाएगा। "बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ 2004" के भाग III में निहित आपूर्ति: लागू श्रेणी के लिए पुस्तिका।

(iii) शेड्यूल निकासी और वास्तविक निकासी के बीच बेमेल एमआरआई के माध्यम से डाउनलोड किए गए मीटर डेटा और बिलिंग माह के दौरान प्रत्येक दिन के लिए प्रस्तुत 15 मिनट के ब्लॉक-वार शेड्यूल से निर्धारित किया जाएगा।

6. यह देखा जाएगा कि तीनों इकाइयों में से प्रत्येक को एक ओपन एक्सेस उपभोक्ता के रूप में वर्णित किया गया है और यदि उत्पादन किसी भी 15 मिनट के ब्लॉक में पिछले दिन निर्धारित इंजेक्शन के 5% से अधिक हो जाता है, तो निर्धारित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के बीच बेमेल हो जाएगा। या तो पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर निर्धारित किया जाएगा या अतिरिक्त आपूर्ति को अस्थायी आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और लागू श्रेणी के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ 2004 पुस्तिका के भाग III में निहित अस्थायी आपूर्ति के लिए टैरिफ लगाया जाएगा। (यदि, हालांकि, बेमेल 5% से अधिक नहीं है, तो इसकी कीमत अनिर्धारित इंटरचेंज शुल्क दर पर तय की जाएगी जो या तो ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा देय या प्राप्य है।)

7. जब पार्टियों, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाद उत्पन्न होता है राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 22.05.2006 और 23.06.2006 को पारित दो आदेशों द्वारा, आयोग ने कहा कि वह पक्षों के बीच विवाद का निर्णय स्वयं करेगा।

हालाँकि, आदेश दिनांक 12.02.2007 द्वारा, आयोग ने विद्युत अधिनियम की धारा 158 के साथ पठित धारा 86(1)(एफ) के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त किया, जिसमें निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया:

"…….बढ़ते विवाद को हल करने के लिए मेसर्स द्वारा प्राप्त ओपन एक्सेस से बाहर। एवीवीएनएल द्वारा बिल किए गए यूआई शुल्क के मामले में एचजेडएल चंदेरिया [चित्तौड़गढ़] में अपने कैप्टिव पावर प्लांट से एवीवीएनएल के क्षेत्र में स्थित अपनी अन्य औद्योगिक इकाइयों तक। याचिकाकर्ता को मध्यस्थ से नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर मध्यस्थ के समक्ष पूर्ण विवरण के साथ एक आवेदन दाखिल करना होगा। मध्यस्थ को इस आदेश की तारीख से 4[चार] महीने की अवधि के भीतर अपना निर्णय देने का प्रयास करना चाहिए। अन्य सभी मामलों में मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन होगी।

8. निर्णय दिनांक 25.08.2007 द्वारा, विद्वान मध्यस्थ ने पार्टियों के बीच 12 मुद्दे उठाए और दिनांक 10.03.2005 के ओपन एक्सेस समझौतों के खंड 8(सी) और 9 को रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप, अनिर्धारित विनिमय शुल्क होगा पार्टियों के बीच पहले हुए समझौतों के अनुसार बिल भेजा गया।

9. इस फैसले को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'मध्यस्थता अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत धारा 34 याचिका में वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश दिनांक 25.02.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया था।

10. धारा 37 की अपील पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 05.04.2018 के आक्षेपित फैसले के तहत निर्णय लिया गया।

11. उच्च न्यायालय ने माना कि, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, चंदेरिया स्थित कंपनी के कैप्टिव उत्पादन संयंत्र को, खुली पहुंच के माध्यम से, प्रतिवादी की अपनी तीन इकाइयों के लिए व्हील पावर की वितरण प्रणाली का उपयोग करना था, जो कि अघुचा, देबारी और दरीबा में वनों के रूप में स्थित थे। इस तथ्य को देखते हुए, और इस तथ्य को देखते हुए कि इन तीन इकाइयों के साथ तीन समझौते किए गए थे, उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा पहनी गई टोपी, जिसमें सभी चार इकाइयां शामिल थीं, एक खुली पहुंच वाले उपभोक्ता की थी न कि वह एक उत्पादक कंपनी का. जिसके फलस्वरूप विद्युत अधिनियम की धारा 86(1)(एफ) लागू नहीं होगी। नतीजतन, मुद्दा क्षेत्राधिकार की अंतर्निहित कमी में से एक होने के कारण, उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय, अजमेर के आदेश को उलट दिया और पूरे फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वर्तमान मामले में पार्टियों के बीच उठाया गया विवाद धारा 86 के

बाहर होगा। बिजली अधिनियम पूरी तरह से. उच्च न्यायालय ने पुरस्कार की खूबियों पर भी चर्चा की और कई आधारों पर इस पुरस्कार को योग्यता के आधार पर विकृत बताते हुए खारिज कर दिया।

12. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी.एस. वैद्यनाथन और प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री पुनीत जैन की विस्तृत दलीलें सुनी हैं।

13. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42, चर्चा के उद्देश्य से प्रासंगिक है और यहां दी गई है:

धारा 42. (वितरण लाइसेंसधारी और खुली पहुंच के कर्तव्य): -

(1) यह वितरण लाइसेंसधारी का कर्तव्य होगा: अपने आपूर्ति के क्षेत्र में एक कुशल समन्वित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित और बनाए रखना और इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार बिजली की आपूर्ति करना।

(2) राज्य आयोग ऐसे चरणों में और ऐसी शर्तों के अधीन, (क्रॉस सब्सिडी सहित) खुली पहुंच शुरू करेगा और अन्य परिचालन बाधाएँ) जैसा कि इसके द्वारा नियत तिथि के एक वर्ष के भीतर निर्दिष्ट किया जा सकता है और क्रमिक चरणों में खुली पहुंच की सीमा निर्दिष्ट करने और व्हीलिंग के लिए शुल्क निर्धारित करने में, इस तरह की क्रॉस सब्सिडी सहित सभी प्रासंगिक कारकों का उचित ध्यान रखा जाएगा। , और अन्य परिचालन बाधाएं:

बशर्ते कि इस तरह की खुली पहुंच की अनुमति राज्य आयोग द्वारा निर्धारित व्हीलिंग शुल्क के अतिरिक्त अधिभार के भुगतान पर दी जाएगी:

इसके अलावा यह भी प्रदान किया गया है कि इस तरह के अधिभार का उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर क्रॉस सब्सिडी का वर्तमान स्तर:

बशर्ते कि इस तरह के अधिभार और क्रॉस सब्सिडी को राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उत्तरोत्तर कम किया जाएगा:

यह भी बशर्ते कि ऐसा अधिभार लगाया नहीं जाएगा यदि किसी ऐसे व्यक्ति को खुली पहुंच प्रदान की जाती है जिसने बिजली को अपने उपयोग के गंतव्य तक ले जाने के लिए एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है:

यह भी बशर्ते कि राज्य आयोग, बिजली के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष से अधिक न हो (संशोधन) अधिनियम, 2003, विनियमों द्वारा, उन सभी उपभोक्ताओं को ऐसी खुली पहुंच प्रदान करता है जिन्हें बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है जहां किसी भी समय उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम बिजली एक मेगावाट से अधिक हो।

(3) जहां कोई भी व्यक्ति, जिसका परिसर वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर स्थित है, (नियत तिथि से पहले बिजली के वितरण के व्यवसाय में लगा हुआ स्थानीय प्राधिकारी नहीं है) को एक उत्पादन कंपनी से बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है या ऐसे वितरण लाइसेंसधारी के अलावा कोई भी लाइसेंसधारी, ऐसा व्यक्ति, नोटिस द्वारा, राज्य आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी बिजली को चलाने के लिए वितरण लाइसेंसधारी की आवश्यकता कर सकता है और ऐसी आपूर्ति के संबंध में वितरण लाइसेंसधारी के कर्तव्य सामान्य होंगे। वाहक गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करता है।

(4) जहां राज्य आयोग किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को उसके आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है, ऐसा उपभोक्ता व्हीलिंग के शुल्क पर अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के दायित्व से उत्पन्न होने वाली निश्चित लागत को पूरा करने के लिए, राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(5) प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, नियत तारीख या लाइसेंस देने की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच स्थापित करेगा।

(6) कोई भी उपभोक्ता, जो उप-धारा (5) के तहत अपनी शिकायतों का निवारण न होने से व्यथित है, अपनी शिकायत के निवारण के लिए राज्य द्वारा नियुक्त या नामित लोकपाल नामक प्राधिकारी को अभ्यावेदन दे आयोग सकता है।

(7) लोकपाल उपभोक्ता की शिकायत का निपटारा ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से करेगा जो राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(8) उप-धारा (5), (6) और (7) के प्रावधान उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे जो उपभोक्ता को उन उप-धाराओं द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अलावा प्राप्त हो सकता है।"

धारा 86 जो राज्य आयोग के कार्यों से संबंधित है, और इस प्रकार बताती है:

धारा 86. राज्य आयोग के कार्य।-(1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्: -

(ए) उत्पादन के लिए टैरिफ निर्धारित करना, राज्य के भीतर, थोक, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो, बिजली की आपूर्ति, पारेषण और व्हीलिंग:

बशर्ते कि जहां धारा 42 के तहत उपभोक्ताओं की एक श्रेणी के लिए खुली पहुंच की अनुमति दी गई है, राज्य आयोग केवल व्हीलिंग शुल्क निर्धारित करेगा। और उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए उस पर अधिभार, यदि कोई हो;

.....

.....

(एफ) लाइसेंसधारियों और उत्पादक कंपनियों के बीच विवादों पर निर्णय देना और किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना;

14. विवाद की जड़ धारा 86(1)(एफ) के इर्द-गिर्द घूमती है।

अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वैद्यनाथन ने तर्क दिया है कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष पुरस्कार को चुनौती केवल योग्यता के आधार पर दी गई थी, और यह कहते हुए कोई चुनौती नहीं दी गई थी कि मध्यस्थ की नियुक्ति स्वयं अधिकार क्षेत्र के बिना होगी, दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए थे मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए आदेश दिनांक 12.02.2007। हालाँकि, उक्त मुद्दे पर बहस की गई और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रथम अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया।

15. हमारा विचार है कि यह स्थापित कानून है कि यदि अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, तो याचिका को किसी भी स्तर पर और संपार्श्विक कार्यवाही में भी लिया जा सकता है।

16. इस न्यायालय द्वारा किरण सिंह और अन्य बनाम चमन पासवान और अन्य (1955) 1 एससीआर 117 में यह निर्णय इस प्रकार दिया गया था:

> "..... ..... यह एक मौलिक सिद्धांत है जो अच्छी तरह से स्थापित है कि अधिकार क्षेत्र के बिना किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अमान्य है, और इसकी अमान्यता तब स्थापित की जा सकती है जब भी और जहां भी इसे लागू करने या उस पर भरोसा करने की मांग की जाती है , यहां तक कि निष्पादन के चरण में भी और यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी। अधिकार क्षेत्र का दोष, चाहे वह आर्थिक हो या क्षेत्रीय, या चाहे वह कार्रवाई की विषय-वस्तु के संबंध में हो, किसी भी डिक्री को पारित करने के न्यायालय के अधिकार पर प्रहार करता है, और ऐसे दोष को सहमति से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। पार्टियों का. यदि अब विचाराधीन प्रश्न केवल मामले को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के आवेदन पर निर्धारित किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मोन्घिर का जिला न्यायालय कोरम गैर-न्यायिक था, और इसका निर्णय और डिक्री शून्य होगी।

17. इसलिए, श्री वैद्यनाथन के इस तर्क को मानना थोड़ा मुश्किल है कि सहमति देने के बाद, प्रतिवादी अब पलट नहीं सकता है और मध्यस्थ की नियुक्ति को अमान्य और अधिकार क्षेत्र के बिना चुनौती नहीं दे सकता है।

अब अधिनियम की धारा 86 पर आते हैं, यह स्पष्ट है कि विवादों पर निर्णय केवल लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच हो सकता है, न कि लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं के बीच, जो कि धारा 42 द्वारा खुली पहुंच की स्थिति में प्रदान किया गया है।

18. हम यह भी जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि 2004 के ओपन एक्सेस विनियमों के तहत, खंड 29, विशेष रूप से, जब ओपन एक्सेस के मामलों के संबंध में वितरण लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं के बीच उठाए गए विवादों की बात आती है, तो चुनौती का तीन स्तरीय पदानुक्रम देता है।

19. यह विद्युत अधिनियम की धारा 42(6) में प्रदान की गई अलग व्यवस्था से काफी अलग है, जहां शिकायतों के निवारण के लिए राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या नामित लोकपाल को एक अभ्यावेदन दिया जा सकता है, जैसा कि बताया गया है श्री पुनीत जैन द्वारा, पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

20. मामला अब एकीकरण का नहीं रह गया है| *गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड* (2008) 4 एससीसी 755 मामले में इस न्यायालय को 2003 के अधिनियम की धारा 86 (1) (एफ) की भाषा को निम्नलिखित शब्दों में समझने का अवसर मिला था:

> 26. यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2003 के अधिनियम की धारा 86(1)(एफ) लाइसेंसधारी और उत्पादन कंपनियों के बीच विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक विशेष प्रावधान है। ऐसे विवादों का निर्णय या तो राज्य आयोग या उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिनके पास इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है। हमारी राय में धारा 86(1)(एफ) में 'उत्पादक कंपनियां' और 'किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए' शब्दों के बीच 'और' शब्द का अर्थ 'या' है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कभी-कभी 'और' का अर्थ 'या' हो सकता है और कभी-कभी 'या' का अर्थ 'और' हो सकता है (जी.पी. सिंह की 'वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत' 9वें संस्करण, 2004 पृष्ठ 404 के अनुसार।)
>
> 27. धारा 86 में हमारी राय (1)(एफ) विद्युत अधिनियम, 2003 के 'उत्पादन कंपनियां' और 'किसी भी विवाद का संदर्भ लें' शब्दों के बीच 'और' शब्द का अर्थ 'या' है, अन्यथा यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति को जन्म देगा क्योंकि जाहिर तौर पर राज्य आयोग दोनों ही किसी विवाद का निर्णय न तो स्वयं कर सकते हैं और न ही उसे किसी मध्यस्थ के पास भेज सकते हैं। इसलिए धारा 86(1)(एफ) में 'और' शब्द का अर्थ 'या' है।
>
> 28. धारा 86(1)(एफ) एक विशेष प्रावधान है और इसलिए यह लाइसेंसधारी और उत्पादन कंपनियों के बीच विवादों की मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 में सामान्य प्रावधान को खत्म कर देगा। यह सर्वविदित है कि विशेष कानून सामान्य कानून पर हावी होता है। इसलिए, हमारी राय में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 इस प्रश्न पर लागू नहीं होती है कि लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच विवादों का फैसला/मध्यस्थता कौन कर सकता है, और ऐसी स्थिति में केवल धारा 86(1)(एफ) लागू होगी|

21. इस निर्णय को पढ़ने पर जो स्पष्ट हो जाता है वह यह है कि धारा 86(1)(एफ) में आने वाली अभिव्यक्ति 'और' को 'या' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा केवल इसलिए है, क्योंकि, जैसा कि फैसले में बताया गया है, राज्य आयोग न तो विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता

है और न ही इसे मध्यस्थ के पास भेज सकता है। अन्यथा भी, मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद का संदर्भ केवल लाइसेंसधारियों और उत्पादक कंपनियों के बीच ही हो सकता है, अन्यथा नहीं।

22. इस मामले में, उच्च न्यायालय यह कहने में सही है कि मध्यस्थ, कानूनन, विद्युत अधिनियम की धारा 86 के तहत राज्य आयोग द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी नियुक्ति पर आधारित पुरस्कार कानून की नजर में गैर-स्थायी होगा।

23. हालाँकि, उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर निष्कर्ष तक नहीं रुका, बल्कि पुरस्कार की खूबियों पर चर्चा करता रहा। हम केवल यह कह सकते हैं कि यदि अपीलकर्ता कानून में किसी अन्य उपाय का लाभ उठाना चाहता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी उसके रास्ते में नहीं आएगी।

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।